प्रेसनोट दिनांक 14-01-2025

कोतवाली बहेड़ी जनपद बरेली

थाना बहेड़ी #bareillypolice द्वारा दिनांक 08.01.2025 को नहर से बरामद एक युवक की धारदार हथियार से शरीर वार कर व गला रेतकर हत्या कर शव को नहर में फेकने की घटना का अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.01.2025 को ग्राम अकबराबाद के पास सकरस की ओर जाने वाली नहर से एक शव जिसके शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किये गये थे व गला रेतकर हत्या की गयी थी, बरामद हुआ था। जिसकी पहचान ग्राम अकबराबाद के सोनू पुत्र धर्मपाल के रूप में हुई। मृतक के पिता धर्मपाल द्वारा थाना बहेड़ी जनपद बरेली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में मु0अ0सं0 44/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम 1. जीशान पुत्र छोटा खां 2. नासिर पुत्र शफी रजा खां 3. विशाल पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम अकबराबाद थाना बहेडी जनपद बरेली के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 13.01.2025 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम अकबराबाद में शमशान घाट के पास से अभियुक्त 1. जीशान पुत्र छोटा खां निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली 2. नासिर पुत्र शफी रजा खां निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली 3. विशाल पुत्र राकेश पाल निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेडी जनपद बरेली उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगणों द्वारा सोनू की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की घटना को स्वीकार किया गया। इसके उपरान्त अभियुक्तगणों की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त 03 छुरियाँ बरामद की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है।

पूछताछ अभियुक्तगण – अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त नासिर ने बताया गया कि करीब 20 – 25 दिन पहले सोनू मेरे घर के सामने अलाव लगाकर आग ताप रहा था, मैंने उसे वहाँ अलाव लगाने से मना कर दिया था तो उसके दो तीन दिन बाद सोनू ने मेरे घर आकर मेरी माँ, मेरी पत्नी व मेरी लड़की के साथ गाली गलौज व बदतमीजी की थी और उल्टा सीधा बोला था। जिसका पता जब मुझे लगा तो मेरा खून खौल गया और मैंने सोनू को ठिकाने लगाने की ठान ली थी। जीशान व विशाल, सोनू के अच्छे दोस्त थे और ये तीनों लोग साथ में बैठकर शराब पीते व नशा करते थे। इसी वजह से मैंने जीशान व विशाल को भरोसे में लेकर सोनू को मारने की योजना बनायी। इसी योजना के तहत दिनांक 04.01.2025 को विशाल के माध्यम से शाम को करीब 07.00 बजे सोनू को घर से बुलवाया और सोनू को ले जाकर नहर के पास शराब पिलायी। सोनू के ज्यादा नशे में हो जाने पर हम तीनों ने उस पर अपनी छुरियों से कई वार किये। सोनू की मरने के बाद सोनू की लाश को बहती नहर में ही फेंक दिया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. जीशान पुत्र छोटा खां निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली
2. नासिर पुत्र शफी रजा खां निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेड़ी जनपद बरेली
3. विशाल पुत्र राकेश पाल निवासी ग्राम अकबराबाद थाना बहेडी जनपद बरेली

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण –

1-जीशान पुत्र छोटा –

1. मु0अ0सं0 44/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)V एस0सी0/एसटी एक्ट थाना बहेड़ी, बरेली।

2- नासिर पुत्र शफी रजा खां -

1. मु0अ0सं0 326/20 धारा 307 भादवि थाना बहेड़ी जनपद बरेली
2. मु0अ0सं0 327/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना बहेड़ी जनपद बरेली
3. मु0अ0सं0 44/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)V एस0सी0/एसटी एक्ट थाना बहेड़ी, बरेली।

3- विशाल पुत्र राकेश पाल –

1. मु0अ0सं0 44/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)V एस0सी0/एसटी एक्ट थाना बहेड़ी, बरेली।

बरामदगी -

1- हत्या में प्रयुक्त 03 अदद छुरी लोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना बहेडी जनपद बरेली।
2. निरीक्षक अपराध श्री धर्मेश कुमार थाना बहेडी जनपद बरेली।
3. उ0नि0 श्री वंशराज थाना बहेडी जनपद बरेली।
4. उ0नि0 श्री श्रीनाथ शर्मा थाना बहेडी जनपद बरेली।
5. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना बहेडी जनपद बरेली।
6. हे0का0 913 देवश कुमार थाना बहेडी जनपद बरेली।
7. का0 1233 शिवाशु राठी थाना बहेडी जनपद बरेली।
8. का0 2225 आकाश राणा थाना बहेडी जनपद बरेली।